फर्द अहकाम

अज अदालत .... मुकाम ....

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा .... नं० .... सन् ....

तारीख हुक्म	रामस्वरूप V/S फुल्या हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु०नं० - 248/22 न.।	नम्बर व ... जो इस ... में
11/9/25	पत्रावली पेश हुई। बहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण के अभिभाषक ने अपनी बहस मे कहा की पक्षकारो के बुजुर्ग भजनलाल के खाते में 77 बीघा 6 बिस्वा भूमी दर्ज थी उसमे गोरध्या, शिब्बू व भजनचन्द के नाम 1/3 - 1/3 हिस्से की भूमि आनी चाहिये थी जिसके अनुसार गोरध्या के वारिस रेवड्या के 25 बीघा 15 बिस्वा के लगभग जमीन आनी चाहिये थी। परन्तु भू प्रबन्धक विभाग द्वारा रेवड्या को 7.14 हे० जो 28 बीघा से ज्यादा है दे दी गई है। जबकी मौके पर इनका 1/3 पर कब्जा है रेवड्या के नाम दर्ज ख.न. 1557, 1559 पर कब्जा रेवड्या के वारिसो का न होकर प्रार्थीगण का है। एवं पक्षकारो के मध्य पूर्व मे चले मुकदमा रेवड्या v/s हरध्या में भी प्रस्तुत राजीनामा अनुसार ख.न. 1557 पर हरध्या का कब्जा रेवड्या ने स्वीकार किया था। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि ख.न. 1557, 1559 पर प्रार्थीगण [illegible] से काबिज चले आ रहे है। इस [illegible] न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आस्थाई [illegible] को वादे के निर्णय तक [illegible] किया जावे। अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस मे कहा की प्रार्थीगण के सपदे मे वर्णित व्यक्तियो की आई-डी पेश नही की है ख.न. 1557 व 1559 अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है जो अप्रार्थीगण के पूर्वजो के जमाने से	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.01.19 16:12:06 IST
Reason: SelfAttested

PTO

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः TI प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है परन्तु प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार अप्रार्थीगण के पिता रेवड़मल के नाम भूप्रबन्धक के दौरान पूर्व के मुकाबले अधिक भूमि आना प्रतीत होता है। इस बिन्दु का निर्धारण मूल दावे में विस्तृत साक्ष्य व सबूतों के आधार पर होना है परन्तु पक्षकारों के मध्य मुकदमों की बहुलता को रोकने के उद्देश्य से वादग्रस्त भूमि ख.नं. 1557 रकबा 36 एयर एवं ख.नं. 1559 रकबा 43 एयर ग्राम सेवर के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक स्थाई किया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत TI प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि वे भूमि ख.नं. 1557 रकबा 36 एयर ख.नं. 1559 रकबा 43 एयर ग्राम सेवर में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में व उपयोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें [illegible] व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली बाद तामील शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे। Sd/- उप जिला कलेक्टर वजीरपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.01.19 16:12:06 IST
Reason: SelfAttested